



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी काम्प्लैक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

दिनांक : 07.02.2022

सार्वजनिक सूचना
(2022 का 02)

पीपीवी और एफआर नियम , 2003 के नियम 22(2) के तहत निम्नलिखित फसल प्रजातियों की मौजूदा किस्म के पंजीकरण की समय सीमा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	फसल प्रजातियों का नाम	पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किया गया	मौजूदा अधिसूचित किस्म और मौजूदा किस्म के पंजीकरण के लिए समय- सीमा	कृषक किस्म के पंजीकरण की समय- सीमा
1	अजवायन (ट्रेकीस्पर्मम अम्मी एल.)	पौधा किस्म जरनल भाग-15 सं.12, 1 दिसंबर, 2021 को 06 जनवरी, 2022 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया	पौधा किस्म जरनलके प्रकाशन से 3 वर्षों की अवधि तक	पौधा किस्म जरनल के प्रकाशन से 5 वर्षों की अवधि तक
2	एनाइस (पिंपेनेला एनिसम एल.)			
3.	सेलेरी (एपियम ग्रेविओलेन्स एल.)			
4.	जीरा (क्यूएमिनम साइमीनम एल.)			
5.	सुवा (एनेथम ग्रेविओलेन्स एल. और एनेथम सोवा रोकसब)			
6.	सौंफ (फोइनीकूलम वलगेर मिलर)			
7.	कलौंजी (नाइजेला सेटाइवा एल.)			

-हस्ताक्षरित-
(टी. के. नागरत्ना)
पंजीकार